

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2022—भाद्र 18, शक 1944

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2022

क्र. 2947-763418-2022-बी-4-दो.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में उपस्थित होने हेतु सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को अधिकृत करती है.

No. 2947-763418-2022-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, authorise Assistant District Public Prosecution Officers to appear in proceedings before Juvenile Justice Board.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, सचिव.